न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा 225 RTA मु. नं० 03 वर्ष 2021

दिनांक	आज्ञा पत्र	
21-1-21	अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर वकील अपीलांट को सुना गया। वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा एक पक्षीय रूप से दिनांक 01.01.2021 को धारा 151 के आवेदन में स्थगन जारी कर दिया है। विधि अनुसार एक पक्षीय स्थगन एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन आदेश 39 नियम 1 व 3 सीपीसी के अनुसार एक माह में अन्तिम रूप से निस्तारण करना होता है। जबकि विचारण न्यायालय द्वारा एक पक्षीय स्थगन जारी कर आगामी तिथि एक माह 10 दिन बाद की दी गई है। विचारण न्यायालय का यह आदेश विधिक प्रावधानों के विपरित है। अत विचाराधीन आदेश की कियान्विति स्थगित करने की कृपा फरमावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 01.01.2021 को विचाराधीन आदेश पारित किया गया है। आगामी तारीख पेशी 10.02.2021 नियत की गई है। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा दिनांक 13.01.2021 को ही इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी गई है। विचाराधीन आदेश अन्तरिम है। अपीलांट को सर्वप्रथम विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिए थी। फलस्वरूप अन्तरिम आदेश की अपील होने के कारण अपील इसी स्तर पर खारिज योग्य पाई जाती है। फलतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हों। ([illegible] सिंह चौधरी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर	